अनुबंध

वर्ष 2013-14 - एसएचजी के लिए ब्याज सबवेंशन योजना

I. वर्ष 2013-14 के दौरान 150 जिलों के सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को एसएचजी ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने 2013-14 के अपने बजट भाषण में 7 प्रतिशत वार्षिक की दर पर 3 लाख रूपए तक के ऋण लेनेवाले महिला एसएचजी को ब्याज सबवेंशन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया था। महिला एसएचजी यदि समय पर चुकौती करें तो उन्हें 3 प्रतिशत का अतिरिक्त सबवेंशन प्राप्त होगा जिससे ब्याज की प्रभावी दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाएगी। अपने पहले चरण में, इस पहल में आइएपी जिलों सहित अत्यधिक पिछड़े 150 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एनआरएलएम अथवा अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार के इस प्रकार के विभागों अथवा एनजीओ अथवा डब्ल्यूएसएचजी कार्यक्रम के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा संवर्द्धित ऐसे सभी महिला एसएचजी जो बैंकों के साथ सहबद्ध किए गए हैं, इस योजना के लाभ पाने के पात्र होंगे। उपर्युक्त घोषणा के अनुसरण में बैंकों के लिए वर्ष 2013-14 के लिए ब्याज सबवेंशन योजना के दावों के संबंध में मुख्य-मुख्य बातें एवं परिचालनात्मक दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं :

1. सभी महिला एसएचजी 7 प्रतिशत वार्षिक की दर पर 3 लाख रूपए तक का क्रेडिट प्राप्त करने के लिए ब्याज सबवेंशन के पात्र होंगे। एस.जी.एस.वाई. में अपने वर्तमान ऋणों के अंतर्गत पहले ही पूंजी सब्सिडी प्राप्त एसएचजी इस योजना के अंतर्गत अपने वर्तमान ऋण के लिए लाभ पाने के पात्र नहीं होंगे।
2. सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (पीएसबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) उक्त 150 जिलों में स्थित सभी महिला एसएचजी को 7 प्रतिशत की दर पर उधार देंगे। **अनुबंध I** में इन 150 जिलों की सूची दी गई है।
3. वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्रभारित भारित औसत ब्याज (वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा यथा निर्दिष्ट डब्ल्यूएआइसी – अनुबंध II) तथा 5.5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा की शर्त पर 7 प्रतिशत के बीच के अंतर की मात्रा तक सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सबवेंशन सभी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को इस शर्त पर उपलब्ध होगा कि वे उक्त 150 जिलों में एसएचजी को 7 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ऋण उपलब्ध कराएंगे। अगले वित्तीय वर्ष के लिए सबवेंशन की सीमा अलग से सूचित की जाएगी।
4. वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए उधार दरों (नाबार्ड द्वारा यथा निर्दिष्ट) और 7 प्रतिशत के बीच के अंतर की मात्रा तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड से रियायती पुनर्वित्त भी प्राप्त होगा। उक्त सबवेंशन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस शर्त पर उपलब्ध होगा कि वे उक्त 150 जिलों में स्थित एसएचजी को ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक की दर पर उपलब्ध कराएंगे। नाबार्ड द्वारा अलग से विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

5. साथ ही, एसएचजी को ऋण की तत्परता से चुकौती करने पर 3 प्रतिशत का अतिरिक्त सबवेंशन उपलब्ध कराया जाएगा। तत्परता से चुकौती पर 3 प्रतिशत के अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन के प्रयोजन के लिए कोई एसएचजी यदि रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्रकार से निम्नलिखित मानदंड पूरे करता है तो ऐसे एसएचजी खाते को 'तत्पर आदाता' के रूप में माना जाएगा :

   क. <u>नकदी ऋण सीमा हेतु</u> :

      i. बकाया शेष 30 दिनों से अधिक समय के लिए निरंतर रूप से सीमा/आहरण शक्ति से अधिक बना न रहें

      ii. खाते में नियमित रूप से जमा और नामे लेनदेन होते रहने चाहिए। किसी भी मामले में किसी माह के दौरान कम से कम एक ग्राहक प्रेरित क्रेडिट जरूर होना चाहिए।

      iii. ग्राहक प्रेरित क्रेडिट माह के दौरान नामे डाले गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

   ख. <u>मीयादी ऋणों के लिए</u> : ऐसे मीयादी ऋण खाते को 'तत्पर भुगतान युक्त खाता' तब माना जाएगा जब ऋण की अवधि के दौरान सभी ब्याज भुगतान और / या मूलधन की किस्तों की चुकौती नियत तारीख के 30 दिनों के भीतर की गई हो।

भविष्य में उक्त तत्पर भुगतान दिशानिर्देश रिज़र्व बैंक के इस विषय पर जारी दिशानिर्देशों द्वारा शासित होते रहेंगे।

सूचना देने की तिमाही के अंत में सभी तत्पर आदाता एसएचजी खाते 3 प्रतिशत के अतिरिक्त सबवेंशन के लिए पात्र होंगे। बैंकों को पात्र एसएचजी ऋण खातों में 3 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन राशि जमा कर देनी चाहिए और तत्पश्चात प्रतिपूर्ति की मांग करनी चाहिए।

6. उक्त ब्याज सबवेंशन योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चयनित किसी नोडल बैंक के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। उक्त नोडल बैंक इस योजना को सभी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के लिए एमएचआरडी (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की शैक्षिक ऋण ब्याज सब्सिडी योजना के स्वरूप की तरह से परिचालन में लाएगा।
7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए उक्त योजना नाबार्ड द्वारा अल्पावधि फसल ऋण योजना की तरह ही परिचालन में लायी जाएगी।
8. कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) पर परिचालन करनेवाले पीएसबी तथा आरआरबी इस योजना के अंतर्गत उक्त ब्याज सबवेंशन प्राप्त करेंगे।
9. महिला एसएचजी को 1 दिसंबर 2013 को या उसके बाद मंजूर सभी 3 लाख रूपए तक के ऋणों के लिए बैंकों को 7 प्रतिशत की ब्याज दर प्रभारित करनी चाहिए। यह 3 लाख रूपए तक के ऋणों के लिए लागू है।
10. दिनांक 1 अप्रैल 2013 और 30 नवंबर 2013 के बीच की अवधि में प्रदत्त ऋणों के लिए बैंकों को एसएचजी के सभी विद्यमान ऋण खातों के लिए 1 अप्रैल 2013 से ब्याज की दर परिवर्तित कर 7 प्रतिशत कर देनी चाहिए।

11. बैंकों को 1 अप्रैल 2013 और 30 नवंबर 2013 के बीच बकाया ऋण के लिए एसएचजी के ऋण खाते में 7 प्रतिशत और प्रभारित भारित औसत ब्याज (डब्ल्यूएआइसी) (वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा निर्दिष्ट प्रकार से – **अनुबंध II**) के बीच अंतर के लिए पहले ही लगाए जा रहे अधिक ब्याज की प्रतिपूर्ति करनी होगी।
12. दिनांक 1 अप्रैल 2013 और 30 नवंबर 2013 के बीच बकाया ऋणों के लिए बैंकों को पात्र एसएचजी को अतिरिक्त 3 प्रतिशत का सबवेंशन अदा करना होगा और नोडल बैंक को दावा प्रस्तुत करना होगा। नोडल बैंक की नियुक्ति किए जाने तक के समय में सभी पीएसबी उक्त दावा **अनुबंध III** में दिए गए फार्मेट में ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास प्रस्तुत करें।
13. दिनांक 1 अप्रैल 2013 से 30 नवंबर 2013 के बीच की अवधि में बंद किए गए ऋणों के लिए 7 प्रतिशत और उधार दरों के बीच के अंतर दोनों ही तथा पात्र एसएचजी को अतिरिक्त 3 प्रतिशत के सबवेंशन की प्रतिपूर्ति पात्र एसएचजी के बचत बैंक खाते में की जानी चाहिए।
14. एसएचजी को 7 प्रतिशत की दर पर दिए गए क्रेडिट पर ब्याज सबवेंशन पाने के लिए बैंकों से अपेक्षित है कि वे 30 सितंबर 2013 और 31 मार्च 2014 की स्थिति पर छमाही आधार पर अपने दावे प्रस्तुत करें जिनमे से बाद वाले दावे के साथ सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जोड़ा जाना जरुरी है जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि 31 मार्च 2014 को समाप्त पूरे वर्ष के लिए सबवेंशन के दावे सत्य एवं सही हैं।
15. बैंक 3 प्रतिशत अतिरिक्त सबवेंशन के लिए वर्ष 2013-14 के पूरे वर्ष के दौरान किए गए संवितरणों से संबंधित एकबारगी समेकित दावे शीघ्र अर्थात् 30 अप्रैल 2014 तक प्रस्तुत करें जो सही होने के प्रमाणन के साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा-परीक्षित हों।
16. बैंकों द्वारा 31 मार्च 2014 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए सबवेंशन के समेकित दावे सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सत्य एवं सही होने के लिए विधिवत प्रमाणित रूप में भेजे जाने चाहिए। वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए संवितरणों से संबंधित कोई भी शेष दावा जो 31 मार्च 2014 के दावे में शामिल न किया गया हो, अलग से समेकित किया जाए और लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित और सत्यता के लिए विधिवत प्रमाणित उस दावे पर 'अतिरिक्त दावा' अंकित किया जाए तथा उसे 30 जून 2014 तक प्रस्तुत किया जाए। लेखा-परीक्षकों के प्रमाणपत्र के आधार पर बाद वाले दावे से समायोजन किए जाएंगे।
17. नाबार्ड द्वारा निर्धारित रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाबार्ड को दावे प्रस्तुत करेंगे ।
18. नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों के लिए अलग से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

II. संवर्ग II जिलों (150 जिलों के अलावा) के लिए ब्याज सबवेंशन योजना

संवर्ग II के जिले जिनमें उक्त 150 जिलों को छोड़कर अन्य जिले शामिल हैं, के लिए एनआरएलएम के अंतर्गत सभी महिला एसएचजी 7% की ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्राप्त करने

हेतु ब्याज सबवेंशन के पात्र होंगे। इस सबवेंशन का निधियन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस बजट शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान का राज्य-वार वितरण प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जाएगा। संवर्ग II जिलों में बैंक एसएचजीयों के लिए अपने संबंधित उधार मानकों के आधार पर एसएचजीयों को प्रभार लगायेंगे तथा उधार दरों और 7% के बीच के अंतर तक की आर्थिक सहायता (सबवेंशन) एसआरएलएम द्वारा एसएचजीयों के ऋण खातों में दी जाएगी। उक्त के अनुसरण में, वर्ष 2013-14 के लिए संवर्ग II हेतु ब्याज सबवेंशन के संबंध में मुख्य-मुख्य बातें तथा परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं :

(क) बैंकों की भूमिका :

सभी बैंक एसएचजीयों के क्रेडिट संवितरण और बकाया क्रेडिट का ब्योरा एमओआरडी द्वारा दिए वांछित फार्मेट में सीधे सीबीएस प्लाटफार्म से ग्रामीण विकास मंत्रालय (एफटीपी के माध्यम से) और एसआरएलएम को प्रस्तुत करेंगे। उक्त जानकारी मासिक आधार पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए ताकि ब्याज सबवेंशन की गणना में सुविधा हो सके।

(ख) राज्य सरकारों की भूमिका :

1. 70% से अधिक बीपीएल या ग्रामीण गरीब सदस्यों (सहभागिता पहचान प्रक्रिया के अनुसार ग्रामीण गरीब) वाले सभी महिला एसएचजी 'एनआरएलएम अनुपालित एसएचजी' माने जाते हैं। ऐसे एनआरएलएम अनुपालित एसएचजी प्रतिवर्ष 7% की दर से लिए गए 3 लाख रूपए तक के ऋण के लिए तत्काल चुकौती करने पर ब्याज सबवेंशन के पात्र होंगे।
2. यह योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। एनआरएलएम का पालन करनेवाले ऐसे एसएचजी को एसआरएलएम ब्याज सबवेंशन उपलब्ध कराएगा जिन्होंने पीएसबी, आरआरबी और सहकारी बैंकों से ऋण लिया हो। इस सबवेंशन का निधियन एनआरएलएम के अंतर्गत राज्यों को किए गए केंद्रीय आबंटनों में से किया जाएगा और ब्याज सबवेंशन योजना के प्रति राज्य का अंशदान एनआरएलएम के लिए लागू अनुपात में होगा।

3. एसएचजी को बैंकों की उधार दर और 7 प्रतिशत के बीच के अंतर के लिए एसआरएलएम द्वारा सबवेंशन (आर्थिक सहायता) सीधे ही मासिक / तिमाही आधार पर दिया जाएगा। एसआरएलएम द्वारा उक्त सबवेंशन राशि का ई-अंतरण तत्परता से चुकौती करनेवाले एसएचजी के ऋण खाते में किया जाएगा।

4. ब्याज सबवेंशन के प्रयोजन के लिए यदि खाते के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट निम्नलिखित मानदंड पूरे किए जाते हों तो किसी खाते को तत्पर आदाता के रूप में माना जाएगा :

क. <u>नकदी ऋण सीमा हेतु</u> :

i. बकाया शेष 30 दिनों से अधिक समय के लिए निरंतर रूप से सीमा/आहरण शक्ति से अधिक बना न रहें

ii. खाते में नियमित रूप से जमा और नामे लेनदेन होते रहने चाहिए। किसी भी मामले में किसी माह के दौरान कम से कम एक ग्राहक प्रेरित क्रेडिट जरूर होना चाहिए।

iii. ग्राहक प्रेरित क्रेडिट माह के दौरान नामे डाले गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

ख. <u>मीयादी ऋणों के लिए</u> : ऐसे मीयादी ऋण खाते को 'तत्पर भुगतान युक्त खाता' तब माना जाएगा जब ऋण की अवधि के दौरान सभी ब्याज भुगतान और / या मूलधन की किस्तों की चुकौती नियत तारीख के 30 दिनों के भीतर की गई हो।

भविष्य में उक्त तत्पर भुगतान निर्देश रिज़र्व बैंक के इस विषय पर जारी दिशानिर्देशों द्वारा शासित होते रहेंगे।

5. एस.जी.एस.वाई में अपने वर्तमान ऋणों के अंतर्गत पहले ही पूंजी सब्सिडी प्राप्त महिला एसएचजी इस योजना के अंतर्गत अपने वर्तमान ऋण के लिए उक्त लाभ पाने के पात्र नहीं होंगे।

6. एसएचजी के ऋण खातों में अंतरित ब्याज सबवेंशन राशियों के मासिक जमा दर्शाते हुए एसआरएलएम द्वारा तिमाही उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

III. राज्य विशिष्ट ब्याज सबवेंशन योजनावाले राज्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपने दिशानिर्देश उक्त केंद्रीय योजना के अनुरूप बना लें।

अनुबंध I

ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना के लिए पात्र 150 जिलों की सूची

क्रम सं.	राज्य का नाम	आइएपी जिले	जिलों की संख्या
1	**आंध्र प्रदेश**	अदिलाबाद	8
		श्रीकाकुलम	
		पूर्वी गोदावरी	
		वारंगल	
		विजयनगरम	
		विशाखापट्टणम	
		खम्मम	
		करीमनगर	
2	**बिहार**	अरवल	11
		औरंगाबाद	
		गया	
		जामुई	
		जेहानाबाद	
		कैमूर	
		मुंगेर	
		नवादा	
		रोहतास	
		पश्चिम चंपारण	
		सीतामढ़ी	
3	**छत्तीसगढ़**	बस्तर	10
		बीजापुर	
		दंतेवाड़ा	
		जशपुर	
		कंकेर	
		कावारधा	
		कोरिया	
		नारायणपुर	
		राजनांदगांव	
		सुरगुजा	
4	गोवा	उत्तर गोवा	1
5	गुजरात	वड़ोदरा	3

		बनासकांठा	
		पंचमहल	
6	हरियाणा	मेवात	3
		भिवानी	
		झज्जर	
7	हिमाचल प्रदेश	शिमला	2
		मंडी	
8	जम्मू और कश्मीर	गंडेरबल	3
		बड़गाम	
		उधमपुर	
9	झारखंड	बोकारो	17
		चात्रा	
		गढवा	
		गिरीध	
		गुमला	
		हजारीबाग	
		खुंटी	
		कोडर्मा	
		लातेहर (उ)	
		लोहरदगा	
		पश्चिम सिंहभूम	
		पलामु	
		पुर्वी सिंहभुम	
		रामगढ़	
		रांची (ग्रामीण)	
		सराइकेला (उ)	
		सिमडेगा (उ)	
10	कर्नाटक	मैसूर	4
		तुमकुर	
		गदग	
		कोप्पल	
11	केरल	पालाक्काड	2
		मल्लपुरम	
12	मध्य प्रदेश	अन्नुपुर	13
		बालाघाट	
		दिंडोरी	

		मंडाला	
		सिओनी	
		शाहडोल	
		सिधी	
		उमारिया	
		छिंदवाडा	
		सिंग्रौली	
		सागर	
		शिवपुर	
		झाबुआ	
13	महाराष्ट्र	गड़चिरोली	6
		गोंदिया	
		जालना	
		उस्मानाबाद	
		नंदुरबार	
		यवतमाल	
14	ओडिशा	बालांगीर	18
		देवगढ़	
		गजपति	
		गंजम	
		जयपुर	
		कालाहांडी	
		कंधमाल	
		केंदुझर	
		कोरापुट	
		मलकनगिरी	
		मयुरभंज	
		नबरंगपुर	
		नयागढ़	
		नौपाडा	
		रायगड़	
		संबलपुर	
		सोनापुर	
		सुंदरगढ़	
15	पंजाब	तरण तारण	3
		गुरुदासपुर	

		फिरोजपुर	
16	राजस्थान	अजमेर	4
		अलवर	
		दौसा	
		उदयपुर	
17	तमिल नाडु	विलुपुरम	4
		वेल्लौर	
		तिरुवन्नमलाइ	
		धरमपुरी	
18	उत्तर प्रदेश	चांदौली	14
		मिर्जापुर	
		सोनभद्र	
		बदायूं	
		हरदोई	
		ईटावा	
		आज़मगढ़	
		इलाहाबाद	
		आंबेडकरनगर	
		बहराइच	
		देवरिया	
		जालौन	
		हमीरपुर	
		बांदा	
19	उत्तराखंड	चमोली	2
		बागेश्वर	
20	पश्चिम बंगाल	बांकुरा	5
		मेदिनीपुर पश्चिम	
		पुरूलिया	
		कूचबिहार	
		बीरभूम	
उत्तरी पूर्वी राज्य			
21	अरुणाचल प्रदेश	पांपुपरे	2
		लोहित	
22	असम	हैलकंडी	4
		धेमेजी	
		जोरहाट	

		नागांव	
23	मणिपुर	सेनापति	1
24	मेघालय	पश्चिम खासी हिल	1
25	मिज़ोरम	ऐजवल	2
		लुंग्लेई	
26	नागालैंड	पेरेन	3
		तुएनसंग	
		मोन	
27	सिक्किम	दक्षिणी सिक्कीम	2
		पूर्वी सिक्कीम	
28	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	2
		उत्तरी त्रिपुरा	
		150	150

अनुबंध II

क्रम सं. (1)	बैंक का नाम (2)	आधार दर (3)	प्रभारित भारित औसत ब्याज (डब्ल्यूएआईसी) (4)	5.5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा की शर्त पर डब्ल्यूएआइसी के आधार पर छूट दिए जाने (सबवेंटेड) वाला 7% से अधिक का ब्याज (5)
1	इलाहाबाद बैंक	10.20	10.43	3.43
2	आंध्र बैंक	10.25	13.62	5.50
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	10.25	11.25	4.25
4	बैंक ऑफ इंडिया	10.25	12.96	5.50
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	10.25	11.75	4.75
6	केनरा बैंक	10.25	12.61	5.50
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	10.25	11.20	4.20
8	कारपोरेशन बैंक	10.25	12.25	5.25
9	देना बैंक	10.25	10.25	3.25
10	इंडियन बैंक	10.20	12.11	5.11
11	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	10.25	11.90	4.90
12	ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स	10.25	11.75	4.75
13	पंजाब नेशनल बैंक	10.25	12.99	5.50
14	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	10.25	12.24	5.24
15	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	10.15	12.87	5.50
16	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	10.20	12.90	5.50
17	भारतीय स्टेट बैंक	9.70	11.70	4.70
18	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	10.15	12.05	5.05
19	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	10.25	11.35	4.35
20	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	10.25	11.97	4.97
21	सिंडिकेट बैंक	10.25	11.75	4.75
22	यूको बैंक	10.20	10.20	3.20
23	यूनियन बैंक	10.25	10.25	3.25
24	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	10.25	11.67	4.67
25	विजया बैंक	10.20	10.95	3.95
26	आइडीबीआई	10.25	10.25	3.25

अनुबंध III

वर्ष 2013-14 के लिए एसएचजी को 3 लाख रूपए तक के क्रेडिट के लिए 7% वार्षिक की दर से उधार देने हेतु ब्याज सबवेंशन के लिए दावा

बैंक का नाम :

तिमाही दावों का विवरण : संवितरित ऋण / 3 लाख रूपए तक बकाया

तिमाही के दौरान खोले गए नए खाते		**पिछली तिमाही में बकाया**		**चालू तिमाही में कुल बकाया**		**ब्याज सबवेंशन की राशि**
खाता	**राशि**	**खाता**	**राशि**	**खाता**	**राशि**	**राशि**

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारे पास उपर्युक्त ऋण वर्ष 2013-14 में महिला एसएचजीयों को 3 लाख रूपए तक की सीमा तक ऋण संवितरित / 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से बकाया के रूपए में हैं।

दिनांक :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(वर्ष के लिए समेकित इस दावा प्रारूप को सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा यथोचित रूप से प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता है और 31 मार्च को समाप्त तिमाही के दावों सहित अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून के भीतर प्रस्तुत किया जाना है)

अनुबंध III

वर्ष 2013-14 के लिए 3 लाख रूपए तक के क्रेडिट के लिए तत्परता से चुकौती पर 3% की दर से अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन हेतु दावा

बैंक का नाम :

तिमाही दावों का विवरण : संवितरित ऋण / 3 लाख रूपए तक बकाया

तिमाही के दौरान खोले गए नए खाते		**पिछली तिमाही में बकाया**		**चालू तिमाही में कुल बकाया**		**नियमित / पात्र एसएचजी**		**ब्याज सबवेंशन की राशि**
खाता	**राशि**	**खाता**	**राशि**	**खाता**	**राशि**	**खाता**	**राशि**	**राशि**

हम प्रमाणित करते हैं कि उक्त ऋण समय पर चुकाए गए तथा अतिरिक्त 3% ब्याज सबवेंशन का लाभ एसएचजी खाते में अंतरित किया गया जिससे तत्पर आदाता एसएचजी के लिए प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% हो गई है।

दिनांक :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(वर्ष के लिए समेकित इस दावा प्रारूप को सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा यथोचित रूप से प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता है और 31 मार्च को समाप्त तिमाही के दावों सहित अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून के भीतर प्रस्तुत किया जाना है)